न्यायालय– स्नेहा सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह जिला दमोह (म.प्र.)

क्रमांक–154/**2026** **दमोह, दिनांक** 03/11/2026

–//विविध आदेश//–

भारत का राजपत्र–नई दिल्ली बृहस्पतिवार 06 अगस्त 2026, श्रवण–15, 1948(शक) के अनुसार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह द्वारा जारी आपराधिक कार्यविभाजन आदेश क्र. 44/स्टेनो/2026, दमोह दिनांक 25.04.2026 के आंशिक संशोधन करते हुए कि **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के संबंध में धारा 13(3)(3ए)** के अंतर्गत किसी भी जन्म या मृत्यु की सूचना यदि उसके गठित होने के दो वर्ष पश्चात् रजिस्टार को दी जाती है तो उसका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार अनुसार जन्म एवं मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने के पश्चात् एवं निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, निराकरण किया जायेगा। उक्त संशोधन के पालन में, **मैं, स्नेहा सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह**, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) तथा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट करती हूं:–

01. **जिला स्थापना, दमोह** के संबंध में उक्त आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक कॉलम नंबर 02 में **श्री उत्कर्ष दिवाकर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह जिला दमोह म.प्र. के समक्ष कॉलम नंबर 03 में स.क. 08 के पश्चात् **"जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के संबंध में धारा 13(3)(3ए)** के तहत किसी भी जन्म या मृत्यु की सूचना यदि उसके घटित होने के दो वर्ष बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन के निराकरण के संबंध में" समाविष्ट किया जाता है।

02. **तहसील हटा, जिला दमोह** के संबंध में उक्त आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक कॉलम नंबर 02 में **श्रीमती निधि जैन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह के समक्ष कॉलम नंबर 03 में स.क्र. 15 के पश्चात् **"जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के संबंध में धारा 13(3)(3ए)** के तहत किसी भी जन्म या मृत्यु की सूचना यदि उसके घटित होने के दो वर्ष बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन के निराकरण के संबंध में" समाविष्ट किया जाता है।

03. **तहसील पथरिया, जिला दमोह** के संबंध में उक्त आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक कॉलम नंबर 02 में **सुश्री जूही सिंह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथरिया, जिला दमोह के समक्ष कॉलम नंबर 03 में स.क. 11 के पश्चात् **"जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के संबंध में धारा 13(3)(3ए)** के तहत किसी भी जन्म या मृत्यु की सूचना यदि उसके घटित होने के दो वर्ष बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन के निराकरण के संबंध में" समाविष्ट किया जाता है।

04. **तहसील तेंदूखेड़ा, जिला दमोह** के संबंध में उक्त आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक कॉलम नंबर 02 में **श्रीमती स्मृति सोनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह म.प्र. के समक्ष कॉलम नंबर 03 में स.क. 10 के पश्चात् **"जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के संबंध में धारा 13(3)(3ए)** के तहत किसी भी जन्म या मृत्यु की सूचना यदि उसके घटित होने के दो वर्ष बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन के निराकरण के संबंध में" समाविष्ट किया जाता है।

उक्त संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील

स्नेहा सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.

प्रतिलिपि–
क्रमांक– 154 **/2026** **दमोह, दिनांक** 03/11/2026

1– कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दमोह के समक्ष सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
2– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर दमोह की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4– पुलिस अधीक्षक दमोह की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5– जिला अभियोजन अधिकारी, दमोह की ओर सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7– कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय दमोह की ओर को सूचनार्थ प्रेषित।

स्नेहा सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.